वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 153/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-24.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 24.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना- महराजगंज: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र मकरी सा0 अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त / सदस्य 1-दिनेश पुत्र रामाआसरे सा0 अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2-बाला उर्फ बलवन्त पुत्र स्व0 बरसाती सा0 अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ है। यह एक शातीर अपराधी है जिनका अपना एक आपराधिक गिरोह है यह अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक , भौतिक एवम् दुनियावी लाभ के लिए चोरी नकबजनी जैसा गंभीर अपराध करते है। इनके इस कृत्य से लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है तथा सामान्य जन जीवन अस्त – व्यस्त हो जाता है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है। इनके द्वारा किये अपराध से आम जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त हो गया है जिससे कोई भी इनके विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज नही कराता है और ना ही गवाही देने का साहस करता है। जनमानस में इनके कृत्य से भय व आतंक का माहौल बना रहता है जिसके अपराध पर अंकुश लगाने हेतु गैंग चार्ट तैयार कर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से संयुक्त बैठक से अनुमोदित शुदा गैग चार्ट मय तहरीर दाखिल किया कि दाखिला तहरीर व गैंग चार्ट के आधार पर दिनांक 31.03.25 को मुझ प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र के द्वारा CCTNS पर **मु0अ0सं0 111/25 धारा 3(1),2(ख)(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986** दर्ज करया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 24.04.25 को **प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र** मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत **अभियुक्त 1. योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र मकरी सा0 अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 42 वर्ष** को उनके घर से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र मकरी सा0 अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 42 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 111/25 धारा 3(1),2(ख)(1) यु0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र मकरी सा0 अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 42

1.मु0अ0सं0 39/18 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

2. मु0अ0सं0 45/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 व 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0

3.मु0अ0सं0 61/18 धारा 147/149/323/336/452/504/506 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

4.मु0अ0सं0 199/17 धारा 354(क),354(ख), 376,504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महराजगंज आजमगढ

5. मु0अ0सं0 268/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

6. मु0अ0सं0 325/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

7. मु0अ0सं0 336/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

8. मु0अ0सं0 111/25 धारा 3(1),2(ख)(1) यु0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ

02.थाना गम्भीरपुर: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.04.2025 को वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ने थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अरमान पुत्र शफीक निवासी रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर दिनांक 22.4.2025 को रात्रि में बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 108/25 धारा137(2), 87 BNS** बनाम अरमान पुत्र शफीक निवासी रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 24.04.225 को **उ0नि0 मिथलेश कुमार** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अरमान पुत्र शफीक निवासी रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** को समय करीब 13.10 बजे मुहम्मदपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा अपहता को बरामद किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

थाना गम्भीरपुर
जनपद
सत्यमेवजयते

03. थाना- सिधारीः कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि थाना सिधारी की पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त का अनावरण करते हुए आज दिनांक 24.04.2025 को अभियुक्त के घर ग्राम हेंगापुर से समय 07.50 बजे अभियुक्त राजेश यादव पुत्र स्व0 बलिहारी यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया, गया जो थाना सिधारी के **मु0अ0सं0 74/2025 धारा 419/420/467/468/471/406/120बी भादवि** में वांछित चल रहा था।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.2.2025 को श्री सुरेशचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 रामकिशुन दास गुप्ता सा0 कुर्मी टोला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अभियुक्त गण राजेश यादव पुत्र बलिहारी यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ आदि 3 नफर द्वारा बैनामा करानें के नाम पर पैसे ले लेनां व जालसाजी व साजिश करके दस्तावेजों में कूटरचनां करके फर्जी बैनामा करा देनें के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 74/2025 धारा 419/420/467/468/471/406/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसमें अभियुक्त राजेश यादव पुत्र स्व0 बलिहारी यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी, आजमगढ़ वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक- 24.04.2025 को **उ0नि0 राजबिहारी सिंह** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त राजेश यादव पुत्र बलिहारी यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** को अभियुक्त के घर से समय करीब 07.50 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

राजेश यादव पुत्र बलिहारी यादव सा0 हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 74/2025 धारा 419/420/467/468/471/406/120बी भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. मु.अ.स. 82/2004 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. मु.अ.स. 114/2005 धारा 147/354/323/504/506/392 भादवि व 3(1)X SC/ST ACT थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

04.थाना पवई: किशोरी को शादी झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 05.03.24 को वादी थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अजय यादव पुत्र कोमल यादव निवासी टैनी थाना पवई आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 80/24 धारा 137(2) बीएनएस** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी, जिसमें दिनांक 06.03.25 को पीड़िता की बरामदगी की गयी एवं पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 87, 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी** की गयी।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 24.04.25 को **उ0नि0 राकेश कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त अजय यादव पुत्र कोमल यादव निवासी टैनी थाना पवई आजमगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष** को बलुआ मोड़ के पास से **समय करीब 07.30 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

05.थाना रौनापारः चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी माला पटेल पुत्र छबिलाल पटेल निवासी सपहा पाठक थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र कि दिनांक 14.04.25 की रात्रि में खेत में लगे पम्पीसेट वाले घर का ताला तोड़ कर प्रतिवादीगण द्वारा पम्पीसेट मय सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया जिस पर थाना हाजा पर दिनांक 23.04.25 को **मु0अ0सं0 140/25 धारा 305/331(4) बी.एन.एस.** बनाम 1-मनोज पुत्र तिरथ 2-गोलू पुत्र हरेन्द्र 3-किशन पुत्र दुर्गेश 4-वाहिद पुत्र बफाती निवासीगण भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुमित सिंह द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक-24.04.2025 को **उ0नि0 सुमित सिंह** मय हमराह द्वारा ग्राम भैसाड़ पुल से मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभियुक्तगण **1.किशन यादव पुत्र दुर्गेश यादव 4.वाहिद अहमद पुत्र बफाती अहमद निवासीगण ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़** को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा शेष दो साथी 1.मनोज पुत्र तिरथ 2.गोलू पुत्र हरेन्द्र निवासी ग्राम भेसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ मौके से भाग गये । पकड़े गये व्यक्तियो से ग्राम सपहा पाठक मे ट्यूबेल से चोरी हुए पम्पिंग सेट के सम्बन्ध पूछा गया तो बताये साहब ग्राम सपहा पाठक से चोरी किये पम्पिंसेट को मनोज यादव के ट्यूबेल से करीब 100 मिटर उत्तर सरपट के जूटे मे रखे है, अभियुक्तों के द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुचे तो वहा से 01 अदद इंजन किर्लोस्कर कम्पनी का 05 HP का, 01 अदद पुराना इश्तेमाली फावडा, 01 अदद सेक्शन पाइप व रंग हरा, 01 अदद रेक्सवाल तथा 01 अदद हैण्ड पम्प का मुण्डा व रंग धानी बरामद हुआ तथा जामा तलाशी से अभियुक्त किशन यादव के पास से 670 रुपये बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 140/25 मे धारा 317(2)/3(5)बीएनएस की बढोतरी किया गया।

पूछताछ का विवरण –

1.किशन यादव पुत्र दुर्गेश यादव निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष ने पूछताछ पर बताया कि साहब मै व मेरे ही गाँव के 1.मनोज पुत्र तिरथ 2.गोलू पुत्र हरेन्द्र 3.वाहिद पुत्र बफाती एक साथ मिलकर दिनांक 17.04.25 को ग्राम सपहा पाठक मे बन्द पड़े ट्यूबेल का ताला तोड़कर पम्पिंगसेट चोरी किये थे तथा दिनांक 30.03.25 को मै तथा 1.मनोज पुत्र तिरथ 2.गोलू पुत्र हरेन्द्र मिलकर ग्राम बरडीहा मे SBI बैंक से आगे खाली पड़े घर का ताला तोड़कर बर्तन व 6-7 बोरी गेहूँ चावल चोरी किये। बरडीहा से चोरी किये सामान को बेचकर हम लोगो को कुल 9,000/-(नौ हजार रुपये) मिला था जिसमे से हम तीनो का 3000 हजार हिस्सा आया था। तथा ग्राम सपहा पाठक मे चोरी किये सामान को बेचने के लिये छिपा कर रखे थे कि आप लोगो द्वारा आज पकड़ लिया गया।

2. वाहिद अहमद पुत्र बफाती अहमद निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष पूछताछ पर बता रहा है कि साहब मै व किशन यादव पुत्र दुर्गेश यादव तथा मनोज पुत्र तिरथ व गोलू पुत्र हरेन्द्र एक साथ मिलकर ग्राम सपहा पाठक मे ट्यूबेल पम्प का ताला तोड़कर पम्पिंगसेट चोरी किये थे तथा बेचने के लिये छिपा कर रखे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

पंजीकृत अभियोग¬-

1.मु0अ0सं0 140/25 धारा 305/331(4)/317(2)/3(5) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 121/25 धारा 331(4)/305/317(2)/3(5) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.किशन यादव पुत्र दुर्गेश यादव निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष

2. वाहिद अहमद पुत्र बफाती अहमद निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी-

1- मु0अ0सं0 140/25 मे चोरी का 01 अदद इंजन किर्लोस्कर कम्पनी का 05 HP का, 01 अदद पुराना इश्तेमाली फावडा, 01 अदद सेक्शन पाइप व रंग हरा, 01 अदद रेक्सवाल तथा 01 अदद हैण्ड पम्प का मुण्डा व रंग धानी व

2- मु0अ0सं0 121/25 मे चोरी किये सामान का 670 रुपये बरामद किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 उमाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 सुमित सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 अफजल अंसारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 अखिलेश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना
हेमराज मीना